कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
परिपत्रांक-(सी)-01 /विधि निर्वाचन/ लखनऊ दिनांक 18 अप्रैल 2023

1. समस्त जनपदीय सहायक आयुक्त एवं
   सहायक निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं
   उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0

जैसा कि आप अवगत ही है कि वर्तमान में सहकारी समितियों के निबन्धन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। समय-समय पर इस स्तर से सहकारी समितियों के निबन्धन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के समयान्तर्गत निस्तारण के लिए निर्देशित किया जाता रहा है।

वर्तमान समय में समिति निबन्धन के लिए कोई भी समय सारणी प्रचलित नहीं है, जिससे इस कार्यालय स्तर से बार-बार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जिला एवं मण्डल स्तर पर निबन्धन की कार्यवाही अनावश्यक रूप से लम्बित रहती है एवं समितियों का निबन्धन निर्धारित समय-सीमा पूर्ण होने के पश्चात भी लम्बित रहता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सहकारी समितियों के निबन्धन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात निबन्धन हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती हैः-

क0	प्रकिया स्तर	निर्धारित समय सीमा
01	सहकारी समिति के निबन्धन हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति	-
02	प्राप्त आवेदन की जॉच एवं आर्गनाइजर की नियुक्ति(जन0 सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, कार्यालय स्तर पर)	आवेदन पत्र की प्राप्ति की 05 (पॉच) कार्य दिवस के अन्दर
03	आर्गनाइजर द्वारा बैठकों का आयोजन	आर्गनाइजर नियुक्त होने के 20(बीस) कार्य दिवस के अन्दर
04	बैठकों की कार्यवृत्त तैयार करना	संगठनात्मक बैठक सम्पन्न होने के दो कार्य दिवस के अन्दर
05	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक द्वारा अभिलेखों की जॉच कर मण्डलीय उप आयुक्त एवं उप निबन्धक कार्यालय को सन्दर्भित करना	07(सात) कार्य दिवस के अन्दर
06	उप निबन्धक द्वारा अभिलेखों की जॉच एवं निबन्धन हेतु निर्णय लेना	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, कार्यालय से प्राप्त होने के 15(पन्द्रह) कार्य दिवस के अन्दर
07	निबन्धन प्रमाण पत्र का निर्गमन	निबन्धन पर निर्णय के पश्चात 01 (एक) कार्य दिवस के अन्दर

अतः उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त समय-सारणी का समयान्तर्गत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(बी0एल0 मीणा)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner